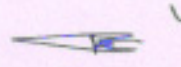


प्रस्तावित पावर ट्रान्समिशन लाईन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के N.P.V. मूल्य का निर्धारण

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि० (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) द्वारा 132 के०वी० जिगना-दादर कला ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु कुल 6.5475 हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उससे प्रभावित 02 वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु प्रस्तावित है। ग्राम - विजयपुर, कं०न०-3, गाटा सं०-3362 तहसील-सदर, जिला- मीरजापुर में ट्रान्समिशन लाईन निर्माण से (2425 X 27) वर्ग मीटर = 6.5475 हे० आरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी, जिसका एन०पी०वी० मूल्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक F.No. 5-3/2007 FC दिनांक 05.02.2009 द्वारा इको क्लास-(iii) खुले वन हेतु निर्धारित एन०पी०वी० रू० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से रू० 6.26 लाख x 6.5475 हे० = रू० 40,98,735.00 (चालीस लाख अठ्ठानबे हजार सात सौ पैंतीस रुपया मात्र) का भुगतान प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त याचक विभाग द्वारा कैम्पा को देय होगा। एवं यदि एन०पी०वी० की धनराशि में उक्त अवधि में वृद्धि होती है तो उक्त बढ़ी हुई धनराशि को अदा करने हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि० बाध्य होगा।


उप-प्रभागिकारी
मीरजापुर, मीरजापुर


 उप-प्रभागीय वनाधिकारी
 मीरजापुर उप-वन प्रभाग
 मीरजापुर


 प्रभागीय वनाधिकारी
 मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
 11